

गृह (ग्रुप-8) विभाग
 जिला विभाग, जयपुर
 2194
 23/8/18

राजस्थान सरकार
 गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक: प.16(6)गृह-9/2018

जयपुर, दिनांक:-

21 AUG 2018

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला कोटा, ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के मुम्बई मनमाड-भीलवाडा पेट्रोलियम गैस पाईप लाईन के एस०वी० स्टेशन 36 संस्थान जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपटित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के मुम्बई मनमाड-भीलवाडा पेट्रोलियम गैस पाईप लाईन के एस०वी० स्टेशन 36 संस्थान को उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है।

क्षेत्र का विवरण

क्र. स.	नाम तहसील	ग्राम	भूमि ख. नं.	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	लाडपुरा	किशनपुरा तकिया	513 पुराना (नया नम्बर 758/1)	0.25 हैक्ट.	खसरा नं. 754 रकबा 0.78 हैक्ट. ओम सिंह जैन पुत्र सरदारमल जैन	खसरा नं. 759/1 रकबा 0.85 हैक्ट. नंदलाल पुत्र मोती लाल धाकड	खसरा नं. 758 रकबा 0.49 हैक्ट. नंदलाल पुत्र मोती लाल धाकड	रोड किशनपुरा तकिया से रंगपुर रोड स्थित है।

AB
 21/8/2018
 (31/8/18)

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुबेसिंह यादव)

शासन विशिष्ट सचिव
 गृह (आपदा प्रबन्धन)विभाग

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, कोटा।
4. निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर दिनांक..... के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
5. महाप्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० मुम्बई मनमाड बिजवासन पाईपलाईन ब्रजेशपुरा कोटा, राजस्थान।
6. उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6 विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

21 AUG 2018

शासन विशिष्ट सचिव
 गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग